

Appendix - 'A'

व्यवहार न्यायाधीश (प्रदेश स्तर) परीक्षा—2020

Examinations Scheme

The Examination shall be conducted by the CGPSC in three parts for the aforesaid post. In the first part Preliminary Examination shall be conducted to restrict the number of candidates to the reasonable limit for the Main Examination.

Scheme and syllabus for the Online Preliminary Examination & Main Examination has been published in the advertisement under Appendix 'B' and Appendix 'C'. Information regarding Date & Time of Main Examination will be published later on.

Scheme of Online Preliminary Examination:-

- (1) Question paper for Online Preliminary Examination shall be of 100 marks and will consist of 100 objective type questions. Each question will have four options for answer, out of which one option will be the correct answer.
- (2) Candidates shall have to tick the correct option.
- (3) Online Preliminary Examination Paper (Objective Type) shall be evaluated as per entries made on online exam to be assessed on Computer.
- (4) The language of question paper of Online Preliminary Examination and Main written Examination will be English and Hindi.
- (5) The relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Online Preliminary Examination in the ratio of 1:10 having regard to the number of vacancies shall be declared qualified for appearing in the Main Examination. The candidates obtaining equal marks as obtained by the last qualified candidates shall also be declared as qualified, though, in consequence the number of candidates declared as qualified may exceed the parameter of 10 times the number of Notified Vacancies. The same procedure will be adopted for Viva-voce in the Main Examination while declaring the candidates qualified on the basis of merit possibly three times against the number of vacancies.
- (6) The final selection will be on merit on the basis of total marks obtained in the written (Main) Exam-

nation and Viva-voce. The decision of the CGPSC with regard to calling the candidates for Viva-voce will be final. The maximum 15 marks are fixed for Viva-voce.

- (7) A candidate belonging to unreserved category has to secure minimum 33% marks in the viva-voce and those belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes shall be required to secure minimum 25% marks in the viva-voce.

Note :-

- (a) There shall be a screening test in the Online Preliminary Examination to shortlist candidates for the Main Examination. The mark sheet for Online Preliminary Examination will not be issued, nor the marks obtained in that Examination will be added while preparing merit list of the Main Examination.
- (b) The candidates remaining absent in the Viva-voce shall be disqualified for the selection.

Examination Centre:-

<u>For Preliminary Exam</u>	<u>For Main Exam</u>
1. Bilaspur	1. Bilaspur
2. Durg-Bhilai	2. Raipur
3. Raipur	

Note:-It is not necessary that the Examination centre opted by the candidates will be allotted to them. Looking to the capacity and administrative convenience, the CGPSC will allot the Examination centre even other than mentioned or may delete any examination centre given in the list. The candidates shall have to appear in Examination at the allotted centre.

□□□

Appendix - 'B'

- (a) **Online Preliminary Examination**
(No. of Question - 100, Time - 2:00 Hour,
Marks - 100)

The Online Preliminary Examination shall be of the duration of two hours consisting of 100 objective type questions from the following:-

- (1) Indian Penal Code
- (2) Code of Civil Procedure
- (3) Code of Criminal Procedure
- (4) Indian Evidence Act
- (5) Constitution of India
- (6) Transfer of Property Act
- (7) Contract Act
- (8) Limitation Act
- (9) The Chhattisgarh Rent Control Act, 2011
- (10) Court Fees Act
- (11) Specific Relief Act
- (12) Registration Act
- (13) Chhattisgarh Land Revenue Code
- (14) The Negotiable Instruments Act, 1881
- (15) The Chhattisgarh Excise Act, 1915

Appendix - 'C'

- (b) **Main Examination (Written)**
(Time - 3:00 Hour, Marks - 100)

For Main Examination, the relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Preliminary Examination in the ratio of 1:10 having regard to the number of vacancies shall be called for Main Examination (Written) to be conducted which shall consist of:

- (i) Framing of issues and writing of Judgement in Civil Cases
(Maximum Marks - 40)
- (ii) Framing of charges and writing of Judgement in Criminal Cases
(Maximum Marks - 40)
- (iii) Translation:-
 - (1) English to Hindi-
(Maximum 10 marks)
 - (2) Hindi to English-
(Maximum 10 marks)

(c) **Viva-Voce:-**

Relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Main Examination in the ratio of 1:3 having regard to the number of vacancies, shall be called for viva-voce to be conducted. The maximum marks for Viva-voce would be 15.

- (i) A candidate belonging to unreserved category has to secure minimum 33% marks in the viva-voce and those belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes shall be required to secure minimum 25% marks in the viva-voce.

□□□

Appendix - 'D'

“ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी”

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. इत्यादि की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता है, तो उसे प्रविष्टि किए गए मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाइल व / अथवा सिम-स्टोर जाने या खराब हो जाने की स्थिति में, तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रस्तुत किए गए मोबाइल नम्बर को ढालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।
- (2). सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लेने के पश्चात अभ्यर्थी मोबाइल व ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें ये कि रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done मुद्रित हो ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उक्त रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मार्ग जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यवितरण रूप से देने हेतु आयोग वाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेंगा।
- (3). आवेदक रवयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। निर्धारित भुगतान विकल्प (कैश डिपोजिट) चुनकर, अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में कैश या चेक के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस तक कर सकते हैं। कैश या चेक के माध्यम से शुल्क भुगतान के अगले दिन अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
- (4). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जाती होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन
- (5). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी को सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आँखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को रक्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि रक्केन करते समय केवल फोटो को ही रक्केन किया जाए, बैकग्राउन (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (6). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्लाइट ऐप्ट ऐप्ट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को रक्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि रक्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही रक्केन किया जाए, बैकग्राउन (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।
- (7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।
- (8). आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीमात्रि पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जाए करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।
- (9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद स्वतः खुलने वाले Page पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ-साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त Page पर उपलब्ध Print बटन के विलक्षण कर आवेदन की रसीद का प्रिंट आउट प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- (10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन के दौरान मोबाइल व ई-मेल पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. तथा पासवर्ड के साथ-साथ एडिट पासवर्ड जो कि एडिट हेतु पृथक से मोबाइल व ई-मेल पर प्रदान किया जाएगा का प्रयोग करना होगा। त्रुटि सुधार शुल्क के रूप में अभ्यर्थी को रुपये 6/- (सभी कर सहित) का भुगतान करना होगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अस्पष्टावेदन पर विचार नहीं करेगा। आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रुटि सुधार पश्चात् आवेदन की रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- (11). आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई

किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि किर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में बांछित सुधार कर लें।

- (12). ऑनलाइन आवेदन / त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :—
- प्रयेक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 6/- (सभी कर सहित) देय होगा।
 - ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा रुपये 6/- (सभी कर सहित) का त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। एक आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।
 - प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क रुपये 6/- (सभी कर सहित) के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
 - परीक्षा शुल्क, त्रुटि सुधार शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोट:-

- आवेदक रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संग्रहालय कर लें।
- जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाए। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- कार्ड / नेटवैकिंग / कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग / हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बदलने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राप्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः—

प्रवेश पत्र / साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा / साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी। प्रवेश पत्र / साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

- किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा / साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र / साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- अभ्यर्थी को परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ ID Proof हेतु मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / आधार कार्ड / स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी) / स्वास्थ्य लीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (अमंत्रालय की योजना के तहत जारी) / जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत) / सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी) / पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / डाकघर द्वारा जारी) / छात्र पहचान पत्र (स्कूलों / कालेजों द्वारा जारी) / बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड / संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे—पट्टा, पंजीकृत डिड्स / एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) / फोटो सहित पेशन दस्तावेज, भूतपूर्व सेनिकों की पेशन किताब, भूतपूर्व सेनिकों की विधवा या अंशित प्रमाण पत्र, वृद्धावरथा पेशन आदेश, विधवा पेशन आदेश / शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

यदि प्रवेश पत्र / साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्रवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष / जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा / साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

□□□